कुलदीप सिंह नयायाधिपती, के सामने

आर्यवीर गुलिया की पत्नी मधु - अपीलकर्ता

बनाम

राघवन सरन गुलिया के पुत्र आर्यवीर गुलिया - प्रतिवादी

एफ ए ओ संख्या 2009 का 5310

24 जुलाई 2015

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 9 नियम 13 - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13(1)(i ए) - एक पक्षीय फैसले को रद्द करना - आवेदन खारिज - पति ने पत्नी का गलत पता देकर तलाक की याचिका दायर की - समन जारी किया गया, जो वापस आया और कहा गया कि प्रतिवादी नहीं मिला - प्रतिवादी अभी भी अगली तारीख पर पेश हुई और लिखित बयान दाखिल किया - फिर एकतरफा कार्रवाई की - याचिका पर छह महीने में डिक्री हो गई - ऐसा प्रतीत होता है कि पति को एक पक्षीय डिक्री प्राप्त करने की जल्दी है - लिखित बयान और पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षरों में काफी अंतर - मिलीभगत स्पष्ट है - निर्णय रद्द किया गया - अपील की अनुमति दी गई।

निर्धारित किया कि हस्तलेखन विशेषज्ञ का विज्ञान कोई पूर्ण विज्ञान नहीं है। इसलिए उपस्थित परिस्थितियों को भी समझना होगा। इस मामले में पत्नी ने पति पर आई पी सी की धारा 498-ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। वह अपने पति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए महिला सेल के समक्ष आवेदन भर रही थी।

इसलिए तथ्य यह है कि पत्नी तलाक लेने की पति की इच्छा के आगे विनम्रता से नहीं झुकेगी।

(पैरा 8)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया कि इस न्यायालय ने स्वयं मधु के मानक हस्ताक्षरों की तुलना श्री ओ.के. कौशिक द्वारा दायर लिखित बयान और पावर ऑफ अटॉर्नी पर विवादित हस्ताक्षरों से की है, जिसमे विशेषकर अक्षरों "एम" और "डी" में काफी अंतर पाया गया है।

(पैरा 12)

मनोज बजाज, अपीलार्थी की ओर से वकील।

राकेश नेहरा, प्रतिवादी के वकील।

कुलदीप सिंह, नयायाधिपती (मौखिक)

(1) अपीलकर्ता ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, झज्जर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.4.2009 के खिलाफ दायर की है, जिसके तहत उसने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन किया था। तत्कालीन विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, झज्जर द्वारा पारित दिनांक 13.8.2002 के एक पक्षीय निर्णय एवं तलाक डिक्री को खारिज कर दिया गया।

(2) वर्तमान मामले में शामिल संक्षिप्त विवाद यह है कि 12.2.2002 को, आर्य वीर गुलिया (वर्तमान प्रतिवादी) ने अपनी पत्नी मधु(वर्तमान अपीलकर्ता) के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i ए) के तहत तलाक की मंजूरी के लिए एक याचिका दायर की। 13.2.2002 को अपीलकर्ता/प्रतिवादी (पत्नी) को 19.3.2002 के लिए नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस इस रिपोर्ट के साथ

वापस प्राप्त हुआ कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी (पत्नी) दिए गए पते पर नहीं मिल सकी। इसलिए, नोटिस में 'वार्ड नंबर' का उल्लेख किया जाना चाहिए। हालाँकि, फ़ाइल से पता चलता है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी (पत्नी) कथित तौर पर 19.3.2002 को श्री ओ.के कौशिक, वकील के माध्यम से पेश हुई और उसी दिन लिकजीत बयान दाखिल किया गया और सभी आरोपों को गलत बताया और नकारा। फिर मामले को प्रतिकृति और मुद्दों के लिए 16.4.2002 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज की तारीख में स्थानीय बार एसोसिएशन हड़ताल पर थी, इसलिए मामले को प्रतिकृति और मुद्दों के लिए 14.5.2002 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और पक्षों को पुन: सुलह के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, 14.5.2002 को, अपीलकर्ता/प्रतिवादी (पत्नी) के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और इसलिए, अपीलकर्ता/प्रतिवादी (पत्नी) के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मुद्दे तय किए गए और 13.8.2002 के लिए एक पक्षीय साक्ष्य तलब किया गया, जिस तारीख को याचिकाकर्ता/प्रतिवादी (पति) द्वारा तीन गवाहों की जांच की गई और साक्ष्य बंद कर दिया गया। दलीलें एक ही दिन सुनी गईं और एक पक्षीय फैसला भी उसी दिन सुनाया गया।

(3) यह पता चलता है कि उसके बाद अपीलकर्ता/प्रतिवादी (पत्नी) ने 13.8.2002 के एकपक्षीय फैसले और तलाक की डिक्री को रद्द करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत 12.12.2002 को एक आवेदन दायर किया। आवेदन में दावा किया गया था कि उसने अपनी ओर से पेश होने के लिए किसी वकील को नियुक्त नहीं किया था और यदि पावर ऑफ अटॉर्नी और आवेदन पर आवेदक के कोई हस्ताक्षर पाए जाते हैं, तो ये काल्पनिक हैं और धोखाधड़ी का परिणाम हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें कभी कोई समन नहीं मिला। उसने दावा किया कि उसे एकतरफा फैसले और तलाक की डिक्री के बारे में तब पता चला जब उसने अपने पति के खिलाफ जिला आयुक्त, दिल्ली के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसे 12.11.2002 को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपराध शाखा, नई दिल्ली को भेज दिया गया, जहां पति ने एकपक्षीय फैसला और तलाक की डिक्री पेश की। इसके बाद, उसने वकील से सलाह ली और आवेदन दायर किया।

(4) आवेदन का प्रतिवादी (पति) द्वारा विरोध किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता/प्रतिवादी (पत्नी) कार्यवाही में उपस्थित हुई थी और वह कार्यवाही के बारे में जानती थी। उन्होंने स्वयं वकील की सेवाएं लीं और निर्णय पारित होने के बाद उन्हें डिक्री पारित होने की जानकारी हुई। निचली अदालत ने निम्नलिखित मुद्दे तय किये:-

i) क्या दिनांक 13.8.2002 के एकपक्षीय आदेश को रद्द करने का कोई उचित कारण है, यदि हां, तो किस प्रभाव से, जैसा कि आरोप लगाया गया है? ओ.पी.पी

ii) क्या आवेदन कालातीत है? ओ.पी.डी

iii) क्या आवेदन वर्तमान में विचारणीय नहीं है? ओ.पी.डी

iv) क्या आवेदक को उसके स्वयं के कार्य और आचरण से वर्तमान आवेदन भरने से रोका जा सकता है? ओ.पी.डी

v) राहत।"

(5) मुद्दा नंबर 1 वर्तमान अपीलकर्ता (पत्नी) के खिलाफ तय किया गया था। मुद्दा नंबर 2,3 और 4 एक साथ उठाए गए थे और वर्तमान अपीलकर्ता (पत्नी) के खिलाफ भी तय किए गए थे। परिणामस्वरूप, आवेदन खारिज कर दिया गया।

(6) मैंने अपीलकर्ता के विद्वान वकील, प्रतिवादी के विद्वान वकील को सुना है और फ़ाइल को भी ध्यान से देखा है।

(7) निचले न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने हस्तलेखन विशेषज्ञ से परीक्षण कराया, जिन्होंने संबंधित पक्षों के पक्ष में अपनी राय दी। निचली अदालत ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि श्री ओ.के. कौशिक, एक वरिष्ठ वकील को प्रतिवादी (पत्नी) द्वारा नियुक्त किया गया था। उक्त वकील को बार में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह आवेदक के खिलाफ झूठी गवाही देगा क्योंकि उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए, श्री ओ.के. कौशिक (आरडब्ल्यू3), जो मुख्य याचिका में वर्तमान अपीलकर्ता/प्रतिवादी (पत्नी) की ओर से उपस्थित हुए थे, की गवाही को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,

झज्जर ने यह भी टिप्पणी की कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत याचिका में, पता 'जे-II, किशनगढ़, दिल्ली के निवासी' के रूप में उल्लिखित है। हालांकि, आवेदन पर किशनगढ़ के ऊपर कुछ ओवरराइटिंग स्पष्ट है। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, झज्जर ने यह भी देखा कि अटॉर्नी की शक्ति पर आवेदक के हस्ताक्षरों और आवेदक के नमूना हस्ताक्षरों के साथ लिखित बयान की तुलना से, उनका विचार है कि ये एक ही व्यक्ति के हैं।

(8) मेरा विचार है कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, झज्जर, सबूतों की उचित सराहना करने में विफल रहे। वह फ़ाइल में मौजूद दस्तावेज़ों की ठीक से सराहना करने में भी विफल रहे। लिखावट का विज्ञान कोई पूर्ण विज्ञान नहीं है। इसलिए उपस्थित परिस्थितियों भी समझनी होंगी। इस मामले में, माना जाता है कि पत्नी ने पति पर आईपीसी की धारा 498-ए के तहत मुकदमा दायर किया था। वह अपने पति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए महिला सेल के समक्ष आवेदन भर रही थी। इसलिए, तथ्य यह है कि पत्नी तलाक लेने की पति की इच्छा के आगे विनम्रता से नहीं झुकेगी।

(9) निचली अदालत की यह टिप्पणी कि तलाक की याचिका में पता 'J-II' दिया गया था, भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस अदालत द्वारा तलब की गई मूल फाइल के अवलोकन से पता चलता है कि पत्नी का पता 'मधु पत्नी आर्य वीर गुलिया और बेटी शिव राज, निवासी जे-11' के रूप में दिया गया है। यह एक चतुर चाल थी। पत्नी को जारी समन इस रिपोर्ट के साथ वापस मिला कि पता अधूरा है और 'वार्ड नंबर' दिया जाना चाहिए। समन में भी दिया गया पता 'J-11' है न कि 'J-11'; एएस 'जी-इसलिए, जाहिर तौर पर, पति ने पत्नी का गलत और भ्रामक पता दिया था।

(10) अब, याचिका से पता चलेगा कि इसमें कोई तारीख नहीं है। उक्त संबोधन याचिका के मुख्य भाग में भी दोहराया गया है। याचिका में दलीलों के सत्यापन की कोई तारीख भी नहीं बताई गई है। सत्यापन खंड से पता चलता है कि यह सत्यापित किया गया था कि 'लिखित बयान' की सामग्री सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार

सत्य और सही है, जबकि यह एक याचिका थी और लिखित बयान नहीं था। हालाँकि, याचिका के साथ संलग्न हलफनामे से पता चलता है कि यह अदिनांकित है और किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

(11) अब, लिखित बयान पर आते हैं, एक अवलोकन; उसी से पता चलता है कि लिखित बयान में, पहले तीन पैराग्राफ को सही माना जाता है और अन्य पैराग्राफ को बिना किसी दलील के सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि श्रीमान ओ.के. कौशिक एक वरिष्ठ वकील थे, फिर ऐसे मामले में जहां परित्याग या क्रूरता के आरोप हों, ऐसा लिखित बयान दाखिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया गया था, जिसका कानूनी रूप से मतलब होगा कि तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है। लिखित बयान फिर से अदिनांकित है। इसमें प्रतिवादी का पता 'जी-11, किशन गढ़, दिल्ली' है न कि 'जे-II, किशनगढ़, दिल्ली'। पावर ऑफ अटॉर्नी पर मधु के कथित हस्ताक्षर भी हैं। उक्त वरिष्ठ वकील, जो निचली अदालत की राय में बार में सम्मानित हैं, अगली तारीख पर उपस्थित नहीं हुए और मामले को एकपक्षीय तरीके से आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। अगली तारीख पर सारी गवाही पेश की गयी, दलीलें सुनी गईं और मामले का निपटारा उसी दिन कर दिया गया। आदेश सीपीसी के तहत आवेदन पर कार्यवाही के दौरान उक्त श्री ओ.के. कौशिक आरडब्ल्यू3 के रूप में सामने आए और मधु के हस्ताक्षरों की पहचान की। हालाँकि, उन्होंने अदालत में कभी भी मधु की पहचान नहीं की कि वह वही महिला है, जिसने उनसे संपर्क किया था और जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर किए थे और जिनकी ओर से उन्होंने लिखित बयान दायर किया था। आवेदन में पत्नी ने अपना पता 'जे-III, कृष्णगढ़, दिल्ली निवासी' बताया है। किसी भी तरह प्रोसेस सर्वर द्वारा पता गलत पाया गया। यदि गलत पता दिया गया था, तो यह एक रहस्य है कि पत्नी, जो अपने पति के खिलाफ आपराधिक उपचार का मुकदमा कर रही थी, को याचिका की लंबितता के बारे में कैसे पता चला और उसने सुनवाई की पहली तारीख को तुरंत इस प्रकार का लिखित बयान दायर किया और फिर कार्यवाही से भाग गये। यह ऐसे व्यक्ति के सामान्य व्यवहार के विपरीत है।

(12) मुझे यह भी लगता है कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की यह टिप्पणी भी तथ्यात्मक रूप से गलत है कि लिखित बयान पर मधु के हस्ताक्षर उसके मानक हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं। इस न्यायालय ने स्वयं मधु के मानक हस्ताक्षरों की तुलना श्री ओ.के. कौशिक, अधिवक्ता, द्वारा दायर लिखित बयान और पावर ऑफ अटॉर्नी पर विवादित हस्ताक्षरों से की है और हस्ताक्षरों में काफी अंतर पाते हैं, विशेष रूप से अक्षर 'एम' और 'डी' जब उपस्थित परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है, तो यह पता चलता है कि यह 'कॉपी जालसाजी' का मामला प्रतीत होता है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए दोनों पक्ष एक साथ रहते थे और शादी से उनकी एक बेटी थी। इसलिए पति को पत्नी के हस्ताक्षरों की जानकारी थी। शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन (अनुलग्नक.R30), छुट्टी के लिए आवेदन (अनुलग्नक.R32), छुट्टी के लिए आवेदन (अनुलग्नक.R34), पर हस्ताक्षरों में से एक ही अवधि के इतने सारे हस्ताक्षर फ़ाइल पर प्रस्तुत किए गए थे। चेक पर हस्ताक्षर (अनुलग्नक.R39), बैंक निकासी फॉर्म पर हस्ताक्षर (अनुलग्नक R40 से अनुलग्नक R43) इत्यादि।

(13) मेरा विचार है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ, अर्थात् नरेश कटारिया के साक्ष्य तथ्यात्मक स्थिति के अधिक निकट हैं और उनकी रिपोर्ट (अनुलग्नक.AW2/12) को स्वीकार किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि पति ने एक पक्षीय डिक्री प्राप्त करने की जल्दी में अपनी पत्नी का गलत पता चतुराईपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करके न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की है, जहां 'जे' के स्थान पर - II', 'J-11' लिखा था, जो देखने में समान लग सकता है। संभावना यह भी है कि श्री ओ.के. कौशिक, वकील, को भी किसी धोखेबाज़ ने मधु बताकर गुमराह किया होगा। इसलिए, यह आवश्यक था कि मधु की पहचान श्री ओ.के. कौशिक, अधिवक्ता से उसी महिला के रूप में कराई जानी चाहिए थी, जिसने उसे काम पर रखा था। ऐसा नहीं किया गया। पक्षों के बीच मुकदमेबाजी की पृष्ठभूमि से यह भी पता चलता है कि वर्तमान आवेदन तलाक की डिक्री पारित होने के चार महीने के भीतर दायर किया गया था।

(14) इस स्थिति का सामना करते हुए, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पति ने 1.12.2002 को दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी से उसके दो बच्चे हैं।

(15) यदि ऐसा है, तो उस व्यक्ति के प्रति नरमी दिखाने का कोई आधार नहीं है, जिसने एकपक्षीय तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए न्यायालय से धोखाधड़ी की हो। ऐसा होने पर, सभी मुद्दों पर विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, झज्जर के निष्कर्ष उलट गए हैं और इन मुद्दों का निर्णय वर्तमान अपीलकर्ता (पत्नी) के पक्ष में किया गया है। परिणामस्वरूप, दिनांक 13.8.2002 के आक्षेपित एकपक्षीय निर्णय और तलाक डिक्री को रद्द किया जाता है। दोनों पक्षों को वरिष्ठ न्यायालय के उत्तराधिकारी डॉ चालिया, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, झज्जर के समक्ष इस आदेश के पारित होने के दो महीने के भीतर उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता । विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, झज्जर, कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएंगे और ऊपर दर्ज याचिका में विसंगतियों पर भी विचार करेंगे। इसके बाद, दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाएगा और मामले पर गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा।

(16) तदनुसार वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा

आर्यवीर गुलिया की पत्नी मधु बनाम राघवन सरन गुलिया के पुत्र आर्यवीर गुलिया (कुलदीप सिंह नयाधिपती)